न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

मु.सं. 32/2024/रिव्यू प्रार्थना पत्र

01. हनुमान सिंह पुत्र केशाराम जाति जाट निवासी ग्राम चन्दपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला जिला सीकर
02. सरपंच, ग्राम पंचायत, कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला जिला सीकर

– प्रार्थीगण

बनाम

01. पुष्पा देवी पुत्री गणपत जाति नाई निवासी नगर परिषद के पास, सीकर तहसील व जिला सीकर हाल पज्नी ग्यारसीलाल जाति नाई निवासी ग्राम बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुंझुंनू
02. बिमला देवी पुत्री गणपत
03. गीतांजली पुत्री शिवरतन
04. सजना पत्नी शिवरतन
05. बुलबुल पुत्री शिवरतन
समस्त जाति नाई निवासीगण नगर परिषद के पास, सीकर तहसील व जिला सीकर

– अप्रार्थीगण

<u>नजरसानी आवेदन अन्तर्गत धारा 86 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित अ.आदेश 47 नियम 1 सीपीसी विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, धोद दिनांक 01.04.2024 प्रकरण सं. अपील/03/2022 उनवान पुष्पादेवी बनाम बिमला देवी आदि</u>

उपस्थिति–
1. श्री नानूराम बुडानियां, वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री प्रभातीलाल, वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक–30.07.2025

वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 व प्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय में नामान्तरकरण सं. 324 ग्राम कंवरपुरा के निर्णय दिनांक 10.07.2000 के विरूद्ध धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुष्पा देवी के पिता गणपत के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि 80 रकबा 2.3000 हेक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसी धोद (वर्तमान तहसील सीकर ग्रामीण) में रही गणपत की मृत्यु पर उसकी मृत्यु की विरासत का नामान्तरकरण सं. 324 गलत रूप से उसके पुत्र वर्तमान में मृत शिवरतन एवं गणपत की पत्नी बिमला देवी के नाम से भर दिया जबकि अपीलान्ट पुष्पा देवी उसकी पुत्री है, उसके नाम भी बराबर–बराबर 1/3 भरा जाना जाहिये था। अतः अपील स्वीकार कर प्रश्नगत नामान्तरकरण निरस्त किया जावें व उसके नाम नामान्तरकरण भरा जावें, अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.01 11:15:04 IST
Reason: Self-Attested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेण्ट सं. 1 की ओर से अपील स्वीकार करने पर स्वीकृति प्रदान कर दी व रेस्पोडेंट्स सं. 2 ता 5 की ओर से एकतरफा कार्यवाही कर बाद सम्हात बहस अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण अपास्त कर पुनः तहसीलदार महोदय को बाद सुनवाई पुनः निर्णय पारित करने के लिए प्रतिप्रेषित कर दिया, जिसके विरुद्ध यह नजरसानी निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है– श्रीमान का उक्त निर्णय तथ्यों व विधि के प्रावधानों की भूलवश अनदेखी कर पारित किया गया है। इसलिए उक्त निर्णय निरस्त होने योग्य है। नामान्तरकरण वर्ष 2000 मे भरा गया है, जिसको मृतक की पुत्री ने 22 वर्ष पश्चात् चुनौती दी है। देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण देरी माफ करने के लिए नहीं बताया है और न ही इस बिन्दू पर भूलवश कोई समुचित निर्णय पारित किया है, इसलिए प्रश्नगत निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। मूल अपील के रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 4 के काफी वर्षों पूर्व सम्पूर्ण भूमि विक्रय कर दी, आगे फिर भूमि विक्रय हो गई व खातेदारी में इनका नाम हजफ होकर प्रार्थी सं. 1 ने क्रय करने के पश्चात् कुछ भूमि ओमप्रकाश बिजारणिया एवं राजेन्द्र जाखड़ को विक्रय कर दी व तत्पश्चात् किस्म परिवर्तन करवाकर नगर सुधार न्यास से पट्टा प्राप्त कर लिया व उस भूमि में पेट्रोल पम्प स्थापित कर लिया। भूमि कृषि भूमि रही ही नहीं। धारा 90 बी एल.आर. एक्ट की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् उस आदेश को निरस्त करने की क्षेत्राधिकार सम्भागीय आयुक को ही है, इस तथ्य को छुपाकर वर्तमान जमाबंदी प्रस्तुत नहीं कर न्यायालय को मुगालता निर्णय पारित करवा लिया, इसलिए निर्णय निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी सं. 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करना लिखा है जबकि उसके विरूद्ध नोटिस ही जारी नहीं किया है। जो पत्रावली के रिकॉर्ड से भी स्पष्ट जाहिर होता है, इसलिए भी निर्णय निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत भूमि के विक्रय–पत्र किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त न ही किये गए न ही विक्रय–पत्रों को चुनौती दी गई है, उनको चुनौती दिये बिना नामान्तरकरण की अपील के जरिये खातेदारी निरस्त किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। प्रश्नगत भूमि विक्रय हो चुकी है, जिसके भिन्न–भिन्न खातेदार व पट्टाधारी, उन्हें पक्षकार नहीं बनाये गए है, जो आवश्यक थे। इसलिए भी निर्णय निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार है। प्रश्नगत निर्णय से उनके हितों पर कुठाराघात हुआ है। इसलिए प्रभावित पक्षकार होने के कारण उन्हें नजरसानी प्रस्तुत करने का अधिकार है। प्रकरण में कोई अपील प्रस्तुत नहीं हुई है। इसलिए श्रीमान को नजरसानी सुनने का अधिकार प्राप्त है। नजरसानी 90 दिन की अवधि के भीतर है। इसलिए अन्दर मियाद उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अन्य तर्क वरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगे। अतः नजरसानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि कि श्रीमान निर्णय और नजरसानी निरस्त फरमाया जावें।”

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 पर विधिवत तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से तामील पूर्ण होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री प्रभातीलाल, एड. ने वकालतनामा पेश कर मदवार जवाब विशेष कथन सहित पेश किया गया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि “मद सं. 1 जिस प्रकार से तहरीर है गलत होने से अस्वीकार [illegible] न्यायालय हाजा ने दिनांक 01.04.2024 को पारित निर्णय में ना तो तथ्यों की [illegible] है और ना ही विधि के प्रावधानों की अनदेखी कर निर्णय पारित किया है। बल्कि हिन्दू [illegible] अधिकार अधिनियम की धारा 8 व 10 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के विधिक प्रावधानों की अनदेखी करके अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.0[illegible]000 को अवैध नामान्तरकरण को स्वीकृत करने का पारित आदेश विधि विरुद्ध होने के कारण, नामान्तरकरण सं. 324 को निरस्त कर पत्रावली को तहसीलदार को वारिसान की जांच करके पुनः निर्णित करने हेतु रिमाण्ड किया था। जिसे रिव्यू आवेदन के जरिए चुनौती दिया जाना विधि द्वारा वर्जित है। जिस कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.01 11:15:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोद [illegible] जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

...दन खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं. 2 जिस प्रकार से तहरीर है गलत होने से ...वीकार है। यदि कोई आदेश प्रारम्भ से ही अवैध एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत है एवं ...क आदेश की जब पीड़ित पक्षकार को जानकारी हो तब उसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने ... परिसीमा अवधि आड़े नहीं आती है तथा माननीय न्यायालय हाजा ने परिसीमा अवधि को न्यायहित में कण्डोन कर परिसीमा अवधि का विस्तार करके अंदर मियाद शुमार कर अपील को विधिवत निर्णित किया है एवं माननीय न्यायालय हाजा के विरूद्ध आवेदकगण ने भूलवश समुचित निर्णय पारित नहीं करने का गलत दोषारोपण किया है। आवेदकगण को इस प्रकार के आक्षेप लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, ना ही इस प्रकार का अंकित कारण रिव्यू के संबंध में आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में दिये गये प्रावधानों की परिधि में आता है। इसलिए आवेदन सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं. 3 जिस प्रकार से तहरीर है गलत होने से अस्वीकार है। चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण सं. 324 दिनांकित 10.07.2000 ग्राम पंचायत कंवरपुरा का आदेश प्रारम्भ से ही विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण उक्त नामान्तरकरण के आधार पर हुई राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियां एवं पश्चातवर्ती (Subsequent) अन्तरण प्रलेख एवं किस्म परिवर्तन का आदेश अनावेदक सं. 1 को उत्तराधिकार में प्राप्त हिस्सा की हद तक प्रारम्भ से ही अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन होने के कारण कागजी अन्तरणों एवं संपरिवर्तन आदेश का माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2024 पर अन्यथा कोई प्रभाव नहीं है तथा नामान्तरकरण सं. 324 निरस्त कर रिमाण्ड किया गया है एवं तहसीलदार द्वारा मृतक के वारिसान की जांच कर विरासत के नामान्तरकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने का आदेश पारित किया है तथा यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतक गणपत पुत्र जेलू हिन्दू विधि से शासित था जिसका निर्वसीयति स्वर्गवास हुआ तब उसके द्वारा मृत्यु के समय छोड़ी गयी संपूर्ण संपदा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 10 के प्रावधानों के अनुसार मृतक खातेदार के सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान को प्राप्त हुई तथा अनावेदक सं. 1/अपीलांट मृतक खातेदार गणपत की पुत्री है उसके बाद भी यदि किसी अन्य वारिस, उतराधिकार का नामान्तकरण अकेले अपने नाम से दर्ज व स्वीकृत करवा लेवे तो इस प्रकार के नामान्तकरण से, जिस उतराधिकारी का नाम उतराधिकार के नामान्तकरण में सम्मलित नहीं किया गया, उस उतराधिकारी के सम्पति में अधिकार समाप्त नहीं होते है ऐसी स्थिति में यदि उक्त अवैध नामान्तरकरण की प्रविष्टियों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में आगे प्रविष्टियां हो जाये या जिस उतराधिकारी ने अन्य उतराधिकारी के हिस्सा को सम्मलित करके अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर उक्त भूमि को अंतरित कर दिया हो या बेचान कर दिया हो अथवा कपटपूर्वक संपरिवर्तन करवा लिया हो अथवा धारा 90(बी) की कार्यवाही करवा ली हो तो उक्त पश्चातवर्ती (Susequent) राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियां अथवा अंतरण प्रलेख, विक्रय-पत्र एवं अंतरण प्रलेखों के आधार पर राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियां या धारा 90(बी) का आदेश अथवा संपरिवर्तन आदेश प्रारम्भ से ही शून्य की श्रेणी में होते जिनके आधार पर पूर्ववर्ती अवैध आदेश को निरस्त करने का न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित नहीं हो जाता है ना ही पश्चातवर्ती अवैध अंतरण या आदेश नामान्तरकरण सं. 324 के अवैध आदेश को निरस्त करने में सक्षम न्यायालय के आड़े आते है ना ही मद में अंकित तथ्य नजरसानी का आधार है तथा नजरसानी अजनबी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती अर्थात् प्रार्थी सं. 1 अपील में पक्षकार नहीं रहा है एवं प्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत का सरपंच है, जिसके अपील में पारित निर्णय से कोई अधिकार प्रभावित नहीं हुए है। बल्कि सरपंच, ग्राम पंचायत दिनांक 10.07.2000 को पारित अवैध आदेश के कारण पक्षकार बनाया गया था जिसे नजरसानी प्रस्तुत करने का लोकस्टेण्डाई नहीं है। परन्तु प्रार्थी सं. 1 ने चालाकी करके ग्राम पंचायत कंवरपुरा के वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.01 14:15:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

सरपंच को अपने षड्यंत्र में सम्मलित करके यह नजरसानी प्रस्तुत की है तथा नजरसानी में प्रार्थी सं. 1 के साथ सम्मलित होकर ग्राम पंचायत कंवरपुरा के सरपंच ने अपने पद का दुरूपयोग किया है। वर्तमान सरपंच, ग्राम पंचायत कंवरपुरा, अपील के निर्णय दिनांक 01.04. 2024 के विरूद्ध नजरसानी प्रस्तुत करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत का चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 10.07.2000 का था उस समय वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं था, ना ही उसके द्वारा उक्त नामान्तकरण स्वीकृत किया था तथा ग्राम पंचायत के सरपंच का यह अधिकार क्षेत्र भी नहीं है कि वह अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके किसी अन्य को सदोष लाभ एवं पीड़ित को नुकसान पहुंचाये, ना ही अवैध कृत्य करने के संबंध में, ग्राम पंचायत के सरपंच को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में अधिकार दिये है तथा ग्राम पंचायत के सरपंच ने अधिवक्ता को अधिवक्ता फीस किस मद में अदा की है यह समझ से परे है अर्थात् राजकोष का दुरूपयोग का स्पष्ट मामला है, जिसके विरुद्ध अलग से कार्यवाही करने का अप्रार्थी सं. 1 अपना अधिकार सुरक्षित रखती है। प्रार्थी ने न्यायालय को मुगालता देकर निर्णय पारित करवाने का भी इस मद में गलत अंकन किया है प्रथमतया यदि न्यायालय ही मुगालता में रहेगा तो पीड़ित का न्याय प्रणाली से विश्वास ही उठ जायेगा। इसके अलावा न्यायालय ने क्या मुगालता खाया, यह समझ से परे है। क्या दिनांक 10.07.2000 को नामान्तरकरण सं. 324 पर ग्राम पंचायत कंवरपुरा द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत था, जिसके संबंध में न्यायालय ने मुगालता खा लिया। प्रार्थीगण ने नजरसानी के आवेदन में इस प्रकार के कथन अंकित किये है, जो नजरसानी के दायरा में नहीं आते है। इसलिए नजरसानी आवेदन खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं. 4 जिस प्रकार से तहरीर है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी सं. 2 फोरमल पक्षकार रहा है, जिसे नोटिस जारी किया गया था। परन्तु प्रार्थी सं. 2 उपस्थित नहीं आये वैसे भी प्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत का सरपंच है, जो कि विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करके, इस रिव्यू आवेदन करने में सम्मिलित हुआ है तथा इस मद में अंकित किया गया आधार भी नजरसानी का आधार नहीं है। इसलिए नजरसानी का आवेदन खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं. 5 जिस प्रकार से तहरीर है गलत होने से अस्वीकार है। प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण सं. 324 दिनांकित 10.07.2000 जवाबदात्री के साम्पतिक अधिकारों की हद तक प्रारम्भ से ही अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन है, जिस कारण उक्त अवैध, शून्य नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड में की गयी प्रविष्टियां स्वतः ही अवैध हो जाती है तथा उक्त अवैध प्रविष्टियों के आधार पर यदि कोई अंतरण प्रलेख या विक्रय–पत्र निष्पादित व पंजीकृत हुआ है तो वह प्रारम्भ से ही अकृतता लिए हुए होता है, जिस कारण उसे निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं रहती है। उक्त अंतरण प्रलेख जवाबदात्री के हक अधिकार व हिस्से की भूमि की हद तक आरम्भतः शून्य एवं प्रभावहीन है तथा आवेदकगण ने इस मद में नामान्तकरण की अपील के जरिए खातेदारी निरस्त किया जाना कतई न्यायोचित नहीं होना भी गलत अंकित किया है। यदि प्रार्थीगण का ऐसा मानना है तो नामान्तरकरण सं. 324 दिनांकित 10.07.2000 के आधार पर किस प्रकार से खातेदारी अधिकार उत्तराधिकार के क्रम में प्राप्त हुए, यह समझ से परे है ना ही इस प्रकार के तथ्य नजरसानी का कोई आधार होते है और ना ही अपील [illegible] जाने वाले बिन्दूओं को नजरसानी में उठाया जा सकता है इसलिए नजरसानी सार[illegible] होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं. 6 जिस प्रकार से तहरीर है गलत है और अस्वीकार है। जवाबदात्री मृतक खातेदार गणपत पुत्र जेलू की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है, जिसकी उत्तराधिकार में प्राप्त हिस्सा नामान्तरकरण के जरिए अन्य उत्तराधिकारी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया तो उक्त हिस्सा की हद तक आगे के सभी ट्रांजेक्शन एवं राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियां अथवा पश्चातवर्ती आदेश आरम्भतः शून्य एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.01 16:15:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला-सीकर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

अवेध तथा प्रभावहीन होते है। इसलिए किसी तथाकथित खातेदार या तथाकथित पट्टेधारी को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही इस प्रकार के व्यक्ति आवश्यक पक्षकार होते है ना ही नजरसानी का यह कोई आधार है ना ही किसी निर्णय के सुधार (Rectify) के लिए नजरसानी पोषणीय है। इसलिए नजरसानी आवेदन को खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं. 7 जिस प्रकार से तहरीर है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत का सरपंच है उसके कौन से अधिकारो पर कुठाराघात हुआ यह आवेदकगण में अंकित नहीं किया है। वास्तविक स्थित यह है कि इस नजरसानी में प्रार्थी सं. 1 के साथ सम्मिलित होकर प्रार्थी सं. 2 ने अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग किया है तथा प्रार्थी सं. 1 अपील में पक्षकार नहीं है इसलिए उसे नजरसानी आवेदन प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिस कारण नजरसानी आवेदन को खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं. 8 जिस प्रकार से तहरीर है गलत होने से अस्वीकार है। यदि कोई निर्णय या आदेश अपीलेबल है एवं उक्त निर्णय या आदेश की कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है तो उसे नजरसानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं मिल जाता है तथा जो प्रश्न अपील में उठाये जा सकते है वे प्रश्न नजरसानी में नहीं उठाये जा सकते। इन कानूनी प्रावधानों के मध्यनजर इस नजरसानी के तथ्यों का अवलोकन किया जावें तो इस नजरसानी में वे ही तथ्य अंकित किये गये है, जो अपील की परिधि (Scope) के है। इसलिए यह नजरसानी सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं. 9 व 10 कानूनी होने से जवाब की मोहताज नहीं है। विशेष–कथन के अनुसार– आवेदकगण ने विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करके यह नजरसानी आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत कंवरपुरा का वर्तमान सरपंच है तथा नजरसानी में चुनौतीग्रस्त निर्णय वर्ष 2000 के नामान्तकरण को खारिज करने का है उक्त नामान्तकरण तत्कालीन सरपंच ने विधि के प्रावधानों की अनदेखी करके स्वीकृत किया था, जिस कारण सरपंच ग्राम पंचायत को अपील में पक्षकार बनाया गया था तथा जिस मंच (Forum) द्वारा निर्णय/आदेश पारित किया जाता है उसे अपील या नजरसानी प्रस्तुत करने का "लोकस्टण्डाई" नहीं रहता है क्योंकि उसके हित प्रभावित नहीं होते है, ना ही उसका सम्पति में अधिकार (Interest) होता है तथा किसी निर्णय या आदेश अथवा विनिश्चय के विरूद्ध वही व्यक्ति चाराजोही कर सकता है जिसका सम्पति में अधिकार हो इस संबंध में माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01.04.2024 को पारित निर्णय का अवलोकन किया जावें तो उक्त आदेश/निर्णय खसरा सं. 809 रकबा 2.3000 हेक्टेयर राजस्व ग्राम कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खातेदार गणपत पुत्र जालू की मृत्यु के पश्चात् दिनांक 10.07.2000 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 324 के विरूद्ध पारित आदेश है। उक्त नामान्तकरण में अपीलांट पुष्पा प्रथम श्रेणी की वारिस होकर मृतक खातेदार की (पुत्री) होने के बावजूद भी चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण सं. 324 में नाम अंकित नहीं किया जिस कारण उक्त उतराधिकार के नामान्तरकरण के पक्षकार ही, नामान्तरकरण सं. 324 के विरूद्ध पारित निर्णय से प्रभावित हो सकते है अन्य कोई व्यक्ति "प्रभावित व्यक्ति" की श्रेणी में नहीं आता है तथा प्रार्थी सं. 2 अपील में पक्षकार नहीं है ना ही वह नामान्तरकरण सं. 324 के विरूद्ध पारित आदेश से प्रभावित व्यक्ति है क्योकि किसी अवैध आदेश से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किसी पश्चातवर्ती व्यक्ति का व्यक्ति अजनबी की श्रेणी में आता है इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि नजरसानी अपील का एक अतिरिक्त माध्यम नहीं बन सकती अर्थात नजरसानी की आड़ में मामले में पुनः सुनवायी अनुज्ञेय नहीं है ना ही नजरसानी के माध्यम से किसी त्रुटिपूर्ण निष्कर्षो को सही किया जा सकता है ना ही नजरसानी न्यायालय, अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य कर सकता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरसानी आवेदन को खारिज किया जाने की कृपा करें।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.01 11:15:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

बहस उभयपक्ष से सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण के हस्तगत आवेदन में दर्ज कथनों को दोहराते हुये आवेदन को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने कथनों व आवेदन के समर्थन में वकील प्रार्थीगण ने रिव्यू आवेदन में कानून की स्थिति एवं न्यायिक दृष्टांत विवरण सहित पेश किये, जिनमें न्यायिक दृष्टांत– आर.आर.डी. 2007 पेज सं. 288, आर.आर.टी. 2018–2019 पेज सं. 556, आर.आर.टी. 2018(2) पेज सं. 1355, आर.आर.टी. 2021(2) पेज सं. 952, विवरण सहित– 2015 0 ए.आई.आर. (केऐआर) (एनओसी) पेज सं. 931, 2000 0 सुप्रीम (ओरि.) पेज 24, 2008 0 सुप्रीम (राज.) पेज 69, आर.आर.डी. 1998 पेज सं. 211, आर.आर.डी. 1993 पेज सं. 44 पेश किये। इसके विपरीत में वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब आवेदन मय विशेष कथन में दर्ज कथनों को दोहराते हुये प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया। अपने कथनों व जवाब आवेदन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत– आर. आर.टी. 2018(2) पेज सं. 1280, आर.आर.टी. 2014–15 (एसयूपीपी) पेज सं. 487, आर.आर.टी. 2016(1) पेज सं. 180, आर.आर.टी. 2014(2) पेज सं. 781, डी.एन.जे. 2022(1)(रिव्यू) पेज सं. 736, आर.आर.टी. 2024(1) पेज सं. 571, आर.आर.टी. 2013(1) पेज सं. 79 पेश किये।

बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात आदि का भी गहनता से अवलोकन किया गया। ग्राम कंवरपुरा के संबंध में योग्य ग्राम पंचायत, कंवरपुरा के द्वारा दिनांक 10.07.2000 को भरे गये नामान्तरकरण सं. 324 के रिमांड बाबत न्यायालय हाजा के अपील सं. 03/2022 उनवान पुष्पा देवी बनाम विमला देवी आदि में आदेश दिनांकित 01.04.2024 को रिव्यू बाबत हस्तगत आवेदन वकील प्रार्थीगण के द्वारा पेश किया गया है। उक्त अपील सं. 03/2022 को अपीलांट पुष्पा देवी पुत्री गणपत के द्वारा पेश किया गया तथा अपने पिता गणपत के फौत होने पर संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा भरे गये नामान्तरकरण सं. 324 को चुनौती दी थी। जिसको बाद सुनवाई की जाकर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 01.04.2024 के द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण सं. 324 दिनांकित 10.07.2000 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलांट (पुष्पा देवी), जो कि हस्तगत रिव्यू आवेदन में अप्रार्थी सं. 1 है, के पिता स्व. गणपत पुत्र जेलू के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार विरासत के नामान्तरकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने बाबत आदेश पारित किये गये थे, जो कि पालना वास्ते तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के यहां सुनवाई हेतु नियत होना था। चूंकि न्याय का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि कोई भी खातेदार/पक्षकार न्यायालय के निर्णय/आदेश से असंतुष्ट होता है, तो न्याय व सुनवाई के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय से उपर के सक्षम न्यायालय में उक्त निर्णय/आदेश को चुनौती दी जाकर अपील करने हेतु स्वतंत्र है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण सं. 1 (हनुमान सिंह पुत्र केशाराम जाति जाट निवासी ग्राम चन्दपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर) व प्रार्थीगण सं. 2 (सरपंच, ग्राम पंचायत, कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर) के द्वारा उक्त अपील सं. 03/2022 के आदेश दिनांकित 01.04.2024 को रिव्यू करने बाबत हस्तगत नजरसानी आवेदन पेश कर अनुतोष चाहा है। चूंकि प्रकरण [illegible] भी सामने आया है कि प्रकरण में वर्णित नामान्तरकरण सं. 324, जो कि वर्ष [illegible] संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा भरा गया था। जिसके संबंध में तत्कालीन सरपंच की हैसियत [illegible] उक्त नामान्तरकरण नहीं भरा जाकर वरन ग्राम पंचायत, कंवरपुरा न्याय[illegible] भरा गया था। उक्त के संबंध में हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण सं. 2 (वर्तमान सरपंच, ग्राम [illegible]त, कंवरपुरा) के रूप में हस्तगत रिव्यू आवेदन पेश कर में अनुतोष चाहा है, जो कि प्रथम दृष्ट्या उचित प्रतीत नहीं होता है। जबकि वर्णित आदेश दिनांकित 01.04.2024 की अपील या चुनौती किसी भी अपर/सक्षम न्यायालय में किये जाने बाबत कोई भी तथ्य व दस्तावेजात आदि पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.01 11:15:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

प्रार्थीगणों अथवा असंतुष्ट पक्षकारों/खातेदारों के लिए त्वरित विकल्प था। हस्तगत प्रकरण में उक्त विकल्प को नहीं अपनाया जाकर केवल रिव्यू आवेदन पेश किया गया है, जो कि प्रकरण की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। साथ ही प्रार्थीगण की ओर से अपने रिव्यू आवेदन के समर्थन में ऐसा कोई ठोस सबूत/साक्ष्य/दस्तावेजात पेश नहीं किया है, जिससे उनका पक्ष सबल हों। प्रार्थीगण ने अपने रिव्यू आवेदन में यह भी आधार पेश किया है कि वर्णित आराजी का रूपान्तरण होकर वर्तमान में पट्टे जारी हो चुके है, लेकिन इस प्रकार के कोई भी दस्तावेजात आदि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण ने वर्णित अपील सं. 03/2022 के आदेश दिनांक 01.04.2024 को रिव्यू करने बाबत निवेदन अपने नजरसानी आवेदन में किया है, जबकि इस बाबत कोई भी अनुतोष चाहने पर वे अथवा कोई भी खातेदार/पक्षकार न्याय हेतु अपर/सक्षम न्यायालय में अपील/चुनौती देने हेतु स्वतंत्र थे परन्तु प्रार्थीगण ने ऐसा नहीं किया जाकर हस्तगत रिव्यू आवेदन पेश किया है, जो कि विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार से प्रार्थीगण के द्वारा अपने हस्तगत रिव्यू आवेदन के संबंध में प्रस्तुत वर्णित समस्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होते है। अतः प्रार्थीगण का हस्तगत रिव्यू आवेदन नजरसानी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण का नजरसानी आवेदन अन्तर्गत धारा 86 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित अ.आदेश 47 नियम 1 सीपीसी साबित नहीं होने से व विधिसम्मत नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.01 11:15:04 IST
Reason: SelfAttested